16/06/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष
अतः पार परीक्षा स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध
निर्णय शामिल किया जाकर उक्त दाखिल हो।
नंबर से कट हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/733

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 367

दायर दिनांक : 20.11.2024

बिमला देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति कुम्हार निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीया

बनाम

1. मनोज कुमारी पुत्री लेखराम पत्नी मन्दीप जाति जाट निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. रेणुका पुत्री लेखराम पत्नी किशनलाल जाति जाट निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. शर्मिला पुत्री लेखराम पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी निरवाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री राम प्रताप तिवाड़ी व श्री राम कुमार वर्मा, अभिभाषकगण वादीया
2. श्री कैलाश पारीक, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 3
3. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक : 16.06.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से वाके चक 28 पी.बी.एन.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 144/108 के पत्थर नं. 36/357 (74) के किला नं. 1/1 से 1/3, 2/1 से 2/3, 3/1 से 3/3, 4/1 से 4/3, 5/1 से 5/3, 6 से 9 [illegible] है0 व पत्थर नं. 36/358 (83) के किला नं. 1 से 3, 9 से 11 [illegible] है0 कुल 3.427 है0 अ.क.बा., खाला, गै.मु.रास्ता, नहरी खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण प्रत्येक के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:03 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1/3–1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो पूर्व में इनके पिता लेखराम के नाम से खातेदारी दर्ज थी और उनके स्वर्गवास उपरान्त जरिये इन्तकाल सं. 726 दिनांक 23.10.2024 को वादीया को बिना बताये, वादीया से छुपकर प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली, जबकि प्रतिवादीगण के पिता लेखराम ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि में से चक 28 पी.बी.एन.'बी' तहसील सूरतगढ़ के उस समय के खाता सं. 108/95 के पत्थर नं. 36/358 (83) के किला नं. 11 की 0.126 है0 अ.क.बा. भूमि में से 0.013 है0 अ.क.बा. बजानिब दक्षिण–पश्चिम दिशा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 10.06.2020 को वादीया को बेचान कर कब्जा सौंप दिया था और वादीया ने बैयनामा की प्रति पटवारी हल्का को नामान्तरण दर्ज करने हेतु दे दी। वादीया को आवश्यकता होने पर दिनांक 23.10.2024 को जमाबन्दी लेने गई तो पता चला कि समस्त भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम विरासतन दर्ज है। वादीया ने पटवारी हल्का से अपने बैयनामा के नामान्तरण के बारे में पूछा तो पटवारी हल्का ने कहा कि टूटवां किलेजात का नामान्तरण कम्प्यूटर द्वारा नहीं लिया जा रहा है, इस कारण से नामान्तरण दर्ज नहीं हो पाया। वादीया ने प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 से अपनी जरिये बैयनामा खरीदशुदा भूमि, जिस पर वादीया का कमरा बना हुआ है व ट्यूबवैल लगा हुआ है, वादीया के नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया तो पहले तो प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 तैयार हो गये, लेकिन बाद में स्पष्ट इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 जैरवाद भूमि को रहन–बैय करने पर उतारू हैं। अतः वादीया ने बैयनामा दिनांक 10.06.2020 के आधार पर प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम अंकित जैरवाद भूमि में से पत्थर नं. 36/358 (83) के किला नं. 11 की 0.126 है0 अ.क.बा. भूमि में से 0.013 है0 अ.क.बा. भूमि का वादीया को खातेदार कृषक घोषित करने व जैरवाद भूमि का खाता विभाजन कर मुताबिक कब्जा वादीया का खाता अलग कायम करने एवं दावा के निर्णय तक उक्त किला नं. 11 की 0.013 है0 भूमि को रहन–बेचान नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। वाद–पत्र के साथ जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति व पंजीबद्ध बैयनामा की मूल प्रति प्रस्तुत की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 3 पर

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने जरिये अभिभाषक इकबाल दावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वाद वादीया स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। इकबाल दावा प्रस्तुत होने पर साक्ष्य लिये गये। वादीया ने साक्ष्य में स्वयं का बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिरह वकील प्रतिवादीगण शून्य रही। वादीया और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहती, इसलिए साक्ष्य वादीया बन्द किये गये। प्रतिवादीगण भी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते, इसलिए साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये जाकर बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक वादीया ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी व बैयनामा एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत इकबाल दावा की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से अंकित वाके चक 28 पी.बी.एन.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 144/108 के पत्थर नं. 36/357 (74) के किला नं. 1/1 से 1/3, 2/1 से 2/3, 3/1 से 3/3, 4/1 से 4/3, 5/1 से 5/3, 6 से 9 = 2.264 है0 व पत्थर नं. 36/358 (83) के किला नं. 1 से 3, 9 से 11 = 1.163 है0, कुल 3.427 है0 अ.क.बा.–नहरी मय खाला, गै.मु.रास्ता खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 36/358 (83) के किला नं. 11 की 0.126 है0 अ.क.बा. भूमि में से 0.013 है0 अ.क.बा. बजानिब दक्षिण–पश्चिम दिशा भूमि, जो वादीया ने जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 10.06.2020 को पूर्व में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के पिता लेखराम से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, का बैयनामा के आधार पर वादीया को खातेदार कृषक घोषित कर और घोषित रकबा प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से कलमजन कर वादीया के नाम से दर्ज कर, मुताबिक कब्जा वादीया का खाता प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 से अलग कायम किये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने इकबाल दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीया स्वीकार कर प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम अंकित जैरवाद भूमि में से पत्थर नं. 36/358 (83) के किला नं. 11 की 0.126 है0 अ.क.बा. भूमि में से 0.013 है0 अ.क.बा. बजानिब दक्षिण–पश्चिम दिशा भूमि

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

का वादीया को खातेदार कृषक घोषित कर, उक्त रकबा प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन कर वादीया के नाम दर्ज कर, वादीया का अलग खाता कायम किये जाने की प्रार्थना की।

सरकार की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हित सुरक्षित रखते हुए वाद में निर्णय करने की प्रार्थना की।

बहस सुनने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गहनता से पठन व मनन करने पर पाया कि वाद के साथ प्रस्तुत मुताबिक पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 10.06.2020 प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के पिता लेखराम पुत्र बागाराम द्वारा जैरवाद भूमि में से चक 28 पी.बी.एन.'बी' तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 36/358 (83) के किला नं. 11 की 0.126 है0 अ.क.बा. भूमि में से 0.013 है0 अ.क.बा. बजानिब दक्षिण–पश्चिम दिशा भूमि वादीया को बेचान किया गया है एवं इसी अनुसार वादीया को क़ब्जा सौंपा गया है। वादीया ने लेखराम पुत्र बागाराम के स्वर्गवास होने के बाद उक्त भूमि विरासतन प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम होने से, मुताबिक बैयनामा प्रतिवादीगण के नाम अंकित भूमि में से पत्थर नं. 36/358 (83) के किला नं. 11 की 0.126 है0 अ.क.बा. भूमि में से 0.013 है0 अ.क.बा. बजानिब दक्षिण–पश्चिम दिशा भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित कर, उक्त रकबा प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन कर अपने नाम दर्ज करवाकर अलग खाता कायम किये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने जरिये इकबाल दावा वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया है एवं इसी अनुसार वाद डिक्री किये जाने की प्रार्थना की है। वाद वादीया स्वीकार किये जाने से राज्य हित भी प्रभावित नहीं होंगे। अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीया स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम अंकित वाके चक 28 पी.बी.एन.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 144/108 के पत्थर नं. 36/357 (74) के किला नं. [illegible] से 2/3, 3/1 से 3/3, 4/1 से 4/3, 5/1 से 5/3, 6 से [illegible] = 2.[illegible] है0 व पत्थर नं. 36/358 (83) के किला नं. 1 से 3, 9 से 11 = 1.16[illegible] है0, कुल 3.427 है0 अ.क.बा.–

क्रमशः ..... पेज 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

नहरी मय खाला मय गै.मु.रास्ता 'खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 36/358 (83) के किला नं. 11 की 0.126 है0 अ.क.बा. भूमि में से 0.013 है0 अ.क.बा. बजानिब दक्षिण–पश्चिम दिशा भूमि का मुताबिक पंजीबद्ध बैयनामा क्रम सं. 202003115101382 दिनांक 10.06.2020 वादीया बिमला देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति कुम्हार निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है और इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त चक 28 पी.बी.एन.'बी' तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 36/358 (83) के किला नं. 11 की 0.126 है0 अ.क.बा. भूमि में से 0.013 है0 अ.क.बा. बजानिब दक्षिण–पश्चिम दिशा रकबा प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से कलमजन कर, वादीया के नाम बतौर खातेदार अंकित कर, अलग खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 16.06.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:03 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत — **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास — **सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.**

अनवान :—

बिमला देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति कुम्हार निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादीया

बनाम

1. **मनोज कुमारी पुत्री लेखराम पत्नी मन्दीप जाति जाट निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
2. **रेणुका पुत्री लेखराम पत्नी किशनलाल जाति जाट निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
3. **शर्मिला पुत्री लेखराम पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी निरवाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
4. **राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 188, 53 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 367 वर्ष 2024 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबंरू हमारे व हाजिर **अभिभाषकगण वादीया श्री राम प्रताप तिवाड़ी व श्री राम कुमार वर्मा एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 श्री कैलाश पारीक तथा पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीया स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम अंकित वाके चक 28 पी.बी.एन.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 144/108 के पत्थर नं. 36/357 (74) के किला नं. 1/1 से 1/3, 2/1 से 2/3, 3/1 से 3/3, 4/1 से 4/3, 5/1 से 5/3, 6 से 9 = 2.264 है0 व पत्थर नं. 36/358 (83) के किला नं. 1 से 3, 9 से 11 = 1.163 है0, कुल 3.427 है0 अ.क.बा.—नहरी मय खाला मय गै.मु.रास्ता खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 36/358 (83) के किला नं. 11 की 0.126 है0 अ.क.बा. भूमि में से 0.013 है0 अ.क. बा. बजानिब दक्षिण—पश्चिम दिशा भूमि का मुताबिक पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 10.06.2020 क्रम सं. 202003115101382 वादीया बिमला देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति कुम्हार निवासी 28 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है और इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त चक 28 पी.बी.एन.'बी' तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 36/358 (83) के किला नं. 11 की 0.126 है0 अ.क.बा. भूमि में से 0.013 है0 अ.क.बा. बजानिब दक्षिण—पश्चिम दिशा रकबा प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम से कलमजन कर, वादीया के नाम बतौर खातेदार अंकित कर अलग खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×........ ... .×........... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×........ फैसदी की ... .×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:03 IST
Reason: SelfAttested

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16.6.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)